

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 17.11.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 54 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती नीलम सोनकर पत्नी सियाराम नि0 ककरहा बहलोलपुर थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 466 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जंगली पुत्र दुजई नि0 शिवगढ़ मौजा मोतीसिंह मथुरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 300 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रतीराम सोनकर पुत्र विन्द्रा प्रसाद नि0 सेखुई झलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 402 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शोभाराम पुत्र दुखहरन नि0 बसेहिया माली पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 473 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

गोण्डा । जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा जुआरियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 जुआरियों को पकड़ कर उनके कब्जे से रु0 6220 / - बरामद किया गया ।

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरुण कुमार तिवारी पुत्र गंगाराम तिवारी नि0 शाहपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 474 / 20, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.11.2020 को थाना करनैलगंज के उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि मुखबिर की सूचना पर पचमरी के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया । अभियुक्त को थाना करनैलगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार ।
02. का0 मुनव्वर अली ।
03. का0 विकास प्रजापति ।